अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 21(5)(1)खा.वि./निरीक्षण/2017 जयपुर, दिनांक: 16-4-2018

:– आदेश –:

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश क्रमांक प.3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 की पालना में एवं विभागीय आदेश क्रमांक:एफ 21(28)(33)खा.वि./निरी./2009, दिनांक 14.10.2009 एवं एफ 21(5)(1)खा.वि./निरीक्षण/2012, दिनांक 09.04.2015 को अतिक्रमित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किये जाने वाले मासिक दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड (NORMS) विद्यमान मानदण्डों को संशोधित करके इन नये निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रसारित किये जाते है। इन दौरों, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम के लिए मूल इकाई (Basic Unit) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति होगी।

क्र. सं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम मय पद	निरीक्षण उचित मूल्य दुकानें	अन्य अनुज्ञापनधारी एवं थोक विक्रेता		भ्रमण	
			पेट्रो. क्रियान्वयन	गैस एजेन्सी	दिन	रात
1.	जिला रसद अधिकारी	आवंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 10 दुकानों का निरीक्षण	2	2	7	3
2.	प्रवर्तन अधिकारी	आवंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 15 दुकानों का निरीक्षण	2	3	10	6
3.	प्रवर्तन निरीक्षक	आवंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 15 दुकानों का निरीक्षण	0	3	10	6

नोट:–जिला रसद अधिकारी प्रतिमाह तेल कम्पनियों के अधिकारियों से मीटिंग कर पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सियों की संयुक्त जांच कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टॉफ के दौरों, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम के संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किये जाने वाले दौरों, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम का पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र–1 में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
2. पंचायत क्लस्टर का निर्धारण सभी जिला रसद अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय से सम्पर्क करके करेगें।
3. पंचायत क्लस्टर की पहचान, क्लस्टर की सबसे बडी पंचायत (जनसंख्या के आधार पर) के नाम से की जायेगी।
4. उक्त अधिकारी जिनको आवंटित ''क्लस्टर पंचायतों'' का दौरा करना है, वे अपना प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी के सम्मुख कम से कम 15 दिवस पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें। कार्यक्रम प्रस्तावित व अनुमोदित करने की प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

5. जनसुनवाई कार्यक्रम जिला कलक्टर कार्यालय से समन्वय करके करेगें।
6. राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(8)प्र.सु./टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 में दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई, निस्तारण एवं समस्त कार्यवाही करेगें।
7. खाद्य विभाग मुख्यालय पर पदस्थापित जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ को उपरोक्त मापदण्डों से मुक्त रखा गया है, किन्तु उन्हें विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर वांछित जांच कार्य करनें होगें।
8. पी.डी.एस.आर्डर,2001 की पालना में सभी प्रवर्तन स्टॉफ को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की विस्तृत जांच छःमाह में एक बार करनी आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपलब्ध प्रवर्तन स्टॉफ में कार्य विभाजन इस प्रकार हो कि प्रत्येक उचित मूल्य दुकान का सघन निरीक्षण/जांच कार्य किया जाना संभव हो। निरीक्षण मात्र औपचारिक न हो।
9. अन्य अनुज्ञापनों की जांच के लिये प्रवर्तन स्टॉफ की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर से अनुमति प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला रसद अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त कर सकते है।
10. प्रतिवर्ष 01अप्रेल से 15 अप्रेल तक सतर्कता पखवाडे का आयोजन कर सघन जांच अभियान चलाया जावें।
11. संबंधित प्रवर्तन स्टॉफ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एम.पी.आर. संबंधित जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करेगें तथा जिला रसद अधिकारी अपने अधीनस्थ प्रवर्तन स्टॉफ की एम.पी.आर.अपने कार्यालय में ही संधारित करेगें तथा इसकी मॉनिटरिंग भी जिला रसद अधिकारी द्वारा ही की जायेगी। प्रवर्तन स्टॉफ की एम.पी.आर. से असंन्तुष्ट होने की स्थिति में जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ए.सी.आर.) में तदानुसार प्रविष्टि/उल्लेख किया जावेगा।
12. जिला रसद अधिकारियों की एम.पी.आर.की मॉनिटरिंग खाद्य विभाग(मुख्यालय) स्तर पर की जायेगी। जिला रसद अधिकारी नियमित रूप से अपनी एम.पी.आर.प्रत्येक माह की 10 तारीख तक खाद्य विभाग(मुख्यालय) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

मासिक कार्य विवरण हेतु जारी उक्त नवीन दिशा–निर्देश अप्रेल,2018 से प्रभावी होगें।

Sd/-

(मुग्धा सिन्हा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ उपशासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षा पत्रिका।

(प्रगति आसोपा)
सहायक आयुक्त

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
मसिक कार्य विवरण सारांश (जिला रसद अधिकारी)

एम.पी.आर.कोड संख्या ....

नाम जिला रसद अधिकारी ....

आलोच्य माह ....

पदस्थापन स्थान ....

उक्त पदस्थापन की नियुक्ति दिनांक ....

अतिरिक्त कार्यभार / कार्यक्षेत्र का विवरण ....

1– माह में उपलब्ध कार्य दिवस का विवरण

माह में कुल दिन	राजपत्रित अवकाश	अन्य अवकाश (सी.एल., पी.एल., एम.एल., आर.एच., डब्ल्यू.पी., अध्ययन अवकाश या असाधारण अवकाश अथवा अन्य अवकाश की संख्या जिनका उपभोग किया है। राजपत्रित अवकाश घटा कर)	उपलब्ध कार्य दिवस

राजपत्रित अवकाश के दिवस जिनमें राज कार्य किया है – ....

....

....

2– निरीक्षण कार्य का विवरण

मद	कार्यक्षेत्र में कुल संख्या	किये गये निरीक्षण	किये गये निरीक्षणों के विरुद्ध निर्मित प्रकरण	निर्मित प्रकरण के फलस्वरूप दर्ज एफ.आई.आर. संख्या	न्यायालय जिला कलक्टर में धारा 6ए के प्रकरण	निर्मित प्रकरण के फलस्वरूप बनाये गये इस्तगासे / चालान की संख्या
(अ) उचित मूल्य दुकानें						
(ब) पेट्रोल पम्प						
(स) गैस एजेन्सी						
(द) व्यापारिक वस्तुएं						

निरीक्षण के समय जब्त किए गए माल का विवरण एवं अनुमानित मूल्य

....

....

गैर लाईसेन्सी व्यवहारियों की जांच / छापों का विवरण–

पेट्रोलियम उत्पाद–

व्यापारिक वस्तुएं–

3– अन्नपूर्णा भण्डार–उचित मूल्य दुकानों की स्थिति

माह के प्रारम्भ में कुल अन्नपूर्णा भण्डार की संख्या	माह के दौरान नई प्रारम्भ की गई अन्नपूर्णा भण्डार की संख्या	कुल अन्नपूर्णा भण्डार की संख्या (1+2)	माह के दौरान अन्नपूर्णा भण्डार दुकानों पर कुल बिक्री राशि रूपयों में
1	2	3	4

4– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति

माह के प्रारम्भ में कुल दर्ज शिकायतें	माह के दौरान दर्ज शिकायतें	कुल दर्ज शिकायतें (1+2)	माह के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	माह के अन्त में शेष शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5

5– खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त अपीलों का विवरण (उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों सहित)

पिछले माह निस्तारण से शेष अपीलों की संख्या	माह के दौरान प्राप्त अपीलें	कुल अपीलों की संख्या (1+2)	माह के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या			माह के अन्त में शेष अपीलों की संख्या
			स्वीकृत	खारीज	कुल	
1	2	3	4	5	6	7

6– यात्रा प्रवास का विवरण

	दिन	रात्रि	भ्रमण में व्यतीत
क्षेत्र के अन्दर			
क्षेत्र के बाहर			

7– आवंटित वस्तुओं के उठाव व आपूर्ति का विवरण

	प्राप्त आवंटन	उठाव	कम उठाव का विवरण
खाद्य सुरक्षा गेहूं (मै.टन)			
केरोसीन (कि.ली.)			
चीनी (मै.टन)			

8– विधि शाखा के प्रकरणों का विवरण

मद	कुल प्रकरणों की चालू माह की आरम्भिक संख्या	माह में दर्ज प्रकरण	कुल प्रकरण	90 दिवस से अधिक समय से लम्बित प्रकरण		90 दिवस से अधिक समय से लम्बित प्रकरण		कुल निस्तारित
				संख्या	निस्तारण	संख्या	निस्तारण	
(अ) उ.मू.दुकानें								
(ब) पेट्रोल पम्प								
(स) गैस एजेन्सी								
(द) व्यापारिक वस्तुएं								

9– बकाया वसूली का विवरण

नाम मद	माह के प्रारम्भ में बकाया राशि	माह में वसूली गई राशि	माह के अन्त में बकाया राशि
समानान्तर			
परिवहन समानीकरण			
जब्त प्रतिभूति			

दिनांक ....

हस्ताक्षर अधिकारी मय मोहर

जिला कलक्टर की टिप्पणी:–

....

....

हस्ताक्षर जिला कलक्टर मय मोहर

दिनांक ....

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
मसिक कार्य विवरण सारांश (प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक)

नाम प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक.. एम.पी.आर.कोड संख्या ....

पदस्थापन स्थान .... आलोच्य माह ....

उक्त पदस्थापन की नियुक्ति दिनांक ....

अतिरिक्त कार्यभार/कार्यक्षेत्र का विवरण ....

1– माह में उपलब्ध कार्य दिवस का विवरण

माह में कुल दिन	राजपत्रित अवकाश	अन्य अवकाश (सी.एल., पी.एल., एम.एल., आर.एच., डब्ल्यू.पी., अध्ययन अवकाश या असाधारण अवकाश अथवा अन्य अवकाश की संख्या जिनका उपभोग किया है। राजपत्रित अवकाश घटा कर)	उपलब्ध कार्य दिवस

राजपत्रित अवकाश के दिवस जिनमें राज कार्य किया है –
....
....

2– निरीक्षण कार्य का विवरण

मद	कार्यक्षेत्र में कुल संख्या	किये गये निरीक्षण	किये गये निरीक्षणों के विरूद्ध निर्मित प्रकरण	निर्मित प्रकरण के फलस्वरूप दर्ज एफ.आई.आर. संख्या	न्यायालय जिला कलक्टर में धारा 6ए के प्रकरण	निर्मित प्रकरण के फलस्वरूप बनाये गये इस्तगासे/चालान की संख्या
(अ) उचित मूल्य दुकानें						
(ब) पेट्रोल पम्प						
(स) गैस एजेन्सी						
(द) व्यापारिक वस्तुएं						

निरीक्षण के समय जब्त किए गए माल का विवरण एवं अनुमानित मूल्य
....
....

गैर लाईसेन्सी व्यवहारियों की जांच/छापों का विवरण–

पेट्रोलियम उत्पाद–

व्यापारिक वस्तुएं–

Pm/

3– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति (संबंधित प्र.अ./प्र.नि. के क्षेत्राधिकार में)

माह के प्रारम्भ में कुल दर्ज शिकायतें	माह के दौरान दर्ज शिकायतें	कुल दर्ज शिकायतें (1+2)	माह के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	माह के अन्त में शेष शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5

4– यात्रा प्रवास का विवरण

	दिन	रात्रि	भ्रमण में व्यतीत
क्षेत्र के अन्दर			
क्षेत्र के बाहर			

5– अन्य किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण

....

....

....

....

....

....

....

दिनाक ....

हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक

जिला रसद अधिकारी की टिप्पणीः–

....

....

दिनांक ....

हस्ताक्षर जिला रसद अधिकारी मय मोहर